सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005
जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल
प्राक्कथन———

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है । भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है । संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हों कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ती के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है । यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के किया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुडी है, या जो जनहित में आवश्यक हो ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वंतत्रता अधिनियम 2002 कमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ''लोक प्राधिकारी'' है । जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल द्वारा संचालित योजनाये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम का कियान्वयन एवं अन्य नगरीय निकाय से संबंधित जिला स्तरीय योजनाये नगरपालिका व उसके अधिकारियों एवे कर्मचारियों के माध्यम से कियान्वित किया जाता हे।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय स्तर पर निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण से संपर्क किया जा सकता है ।

अन्य सूचनाएँ

धारा 4 (1) (बी) (सत्रह)

1— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा । आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा ।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी ।

1. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगरीय निकायो मे स्वीकृत योजनाओं एवं प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता ।
2. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा समितियों की बैठक के कार्यवृत आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन कार्यालय मे मांगने पर संबधित अधिकारी की उपस्थिति मे निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे ।
3. नागरिकों के कार्यो हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है । नागरिकों से अनुरोध है कि, आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें । जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय–सीमा में निराकृत हो सके ।

4. अन्य

जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ. क्र.	विभाग		कार्य
1.	स्थापना शाखा		लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह

			विभाग उत्तरदायी है । उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार है – **प्रशासन –** 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था । 2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन । 3. कार्यालयीन पत्र–व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण । 4. रिकार्ड – पत्रों का आवक–जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण । 5. बैठक व समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृतो का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयो के कियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित । 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण । 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन । 8– प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियो के सेवा अभिलेखो का संधारण।
	लेखा शाखा		लेखा – 1. प्राप्त आवंटन का नगरीयनिकायो को वितरण।वेतन भुगतान करना प्रशासकीय व्यय की जानकारी एवं बैको की स्वीकृति उपरांत स्वरोजगार कार्यक्रम मे अनुदान राशि जारी करना। निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना। 2. कार्यालय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जॉच करना व सुनिश्चित करना कि, सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम

			स्वीकृति है। बजट प्रावधान है, स्टॉक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना । 3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओ को तैयार करना व विर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना । 4. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमो के लेखो का संधारण । 5. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण । 6. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण ।
2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना		1. स्थापना शाखा 2. लेखा शाखा
3.	बैकवार जानकारी		3. स्थापना शाखा 1. लेखा शाखा

कलेक्टर एव अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल

परियोजना अधिकारी

सहायक परियोजना अधिकारी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

स्टेनो टायपिस्ट

सहायक ग्रेड –3

स्थापना ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाथठेलासाईकिल रिक्शा कार्यकम, घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, केशशिल्पी कल्याण योजना, पथ पर विक्रय करने वाले की कल्याण कार्यकम, एवं परियोजना अधिकारी द्वारा सौपे गये अन्य कार्य

लेखा शाखा, ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण जनश्रीबीमा योजना बीपीएलसर्वे , एवं परियोजना अधिकारी द्वारा सौपे गये अन्य कार्य

भृत्य

अध्याय – एक

जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल के कृत्य एवं कर्तव्य

जिला स्तर पर राज्य सरकार जिला परियोजना के अधीन एक जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 900 / 92 दिनांक 29–2–1992 को हुआ है । शासन द्वारा जिलास्तर पर पदेन अध्यक्ष कलेक्टर को मनोनीत किया गया है जिसके व्यापक मार्गदर्शन मे परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल कार्य करेगे। परन्तु वह जिले क्षेत्राधिकारी मे आने वाले सारे नगरीय क्षेत्रो मे शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के कार्यक्रमो को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप जिम्मेदार रहेगा। परियोजना अधिकारी वर्तमान मे म.प्र.नगरपालिकाक अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो से वह अपने कर्त्तव्यो को संपादित कर रही है। परियोजना अधिकारी मुख्य कर्त्तव्य व कार्यो का विवरण विर्निष्ट है जो निम्नानुसार है।

(क) जिला स्तर पर शहरी गरीबी उपशमन हेतु एक नीति विकसित करना

(ख) जिला /नगर स्तरो पर खण्डीय विभागो को प्रौत्साहित एवं सहायता प्रदान करना

(ग) जिले के भीतर सूचना एवं अनुभव का आदान प्रदान करना

(घ) जिला स्तर पर नगरीय निकायो की संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग करना।

(ड़) समग्र शहरी गरीबी उपशमन के कार्यक्रमो एवं नीति को विकसित करने हेतु निर्देश देना।

(च) नगरीय निकायो मे लक्ष्य और सहभागिता पद्धति को प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन देना।

(छ) जिला स्तर से नगरीय निकायो को सौपे गये दायित्व व कार्यक्रम एवं योजनाओं का मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना।

(ज) योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निरीक्षण करना ।

(झ) शासन को योजनाओं की मासिक त्रैमासिक की स्थिति से माहवार अथवा आवश्यकतानुसार रिर्पोट देना।

अध्याय – दो

प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियॉ प्रपत्र – ग

क.

क्र.	नाम पदाधिकारी		शक्तियॉ		कर्त्तव्य
1.	2.		3.		4.
1.	क्लेक्टर एवं अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल	1.	जिला शहरी विकास अभिकरण की समस्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना ।	1.	1–निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य 2– नगरीय निकायो मे मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं धारा 94 के तहत नियुक्त कर्मचारियो की अवकाश स्वीकृति
		2.	जिला शहरी विकास अभिकरण की बैठक की अध्यक्षता व संचालन करना।	2.	बैठक मे लिये गये निर्णयो का निष्पादन व संचालन करना।
	परियोजना अधिकारी	1	योजनाओं का कियान्वयन एवं नियत्रंण पर्यवेक्षण	1	समंस्त नगरीय निकायो मे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण
				2	नगरीय निकायो मे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण योजनाओं की मानीटरिंग एवं कियान्वयन

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

विभाग	पदाधिकारी का नाम	पद	कर्त्तव्य	शक्तियॉ यदि कोई प्रदाय की गई हो
1.	2.	3.	4.	5.
जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल	श्री महेश साहू श्री सुधीर भार्गव श्री फिरोज खान श्रीजगदीश राठौर	स्टेनोटायपिस्ट सहायकग्रेड–3 वाहनचालक भृत्य	कार्यालयीन कार्य एवं योजनाओं के कियान्वयन वाहन चलाना कार्यालयीन सफाई एवं डाकवितरण कार्य	–––

अध्याय – तीन

विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सरणी

1. परिषद :–

प्रेषककर्त्ता – परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल ।
निर्णयकर्त्ता – कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल।
अपील/पुनरीक्षण – कलेक्टर।

2. गर्वनिंग बाडी –

प्रेषककर्त्ता – परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल ।
निर्णयकर्त्ता – कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल।
अपील/पुनरीक्षण – कलेक्टर।

विभाग	**प्रकरण प्रारंभकर्त्ता कर्मचारी**	**डिलींग कर्मचारी**	**अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है**	**निर्णयकर्त्ता अधिकारी**	**निगरानी/ पर्यवेक्षण अधिकारी**	**प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल	श्री महेश साहू	श्री महेश साहू	परियोजना अधिकारी	क्लेक्टर एवं अध्यक्ष	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल	श्री सुधीर भार्गव	श्री सुधीर भार्गव	परियोजना अधिकारी	क्लेक्टर एवं अध्यक्ष	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी

अध्याय – चार

प्राधिकरण के कृत्यो के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान

क. अपने कृत्यो के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई –सिटीजन चार्टर

ख. कार्यालयीन कार्यो का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य (Quantity Target)

1.	परियोजना अधिकारी	–	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एवं चर्चा (प्रवास एवं अवकाश के दिनो को छोडकर)
2.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	–	बजट आवंटन भुगतान वेतनादि।
3.	सहायक परियोजना अधिकारी	–	समस्त योजनाओ की प्रशासनिका जानकारी
4	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	–	शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ट के संबंध मे कार्यक्रम एवं गतिविधियो के संबंध मे चर्चा (प्रवास एवं अवकाश के दिनो को छोडकर)

अध्याय – पॉच

जिला शहरी विकास अभिकरण के कृत्यो का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितो के द्वारा उपयोग किये गई, नियमों, विनियमों, अनुदेशों मुन्युअल्स और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
3. म.प्र. मूलभूत नियम,
4. म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971,
5. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966,
6. म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955,
7. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965,
8. नगर पालिका द्वारा बनाई गई उपविधियॉ,
9. परिपत्र –
    1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र,
    2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश,

अध्याय – छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	शासन निर्देशानुसार
2.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	––''––
3.	रोकडिया रोकड़	रोकडिया रोकड	जमा राशि की जानकारी	––''––
4.	रोकड बुक	रजिस्टर	क्रय की गई सामग्री का विवरण	––''––
5.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी/प्रतिनियुक्ति	––''––
6.	स्थाई अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	––''––
7.	स्टाक तथा भंडार पंजिया	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण	––''––
8.	प्राप्तियो की की पंजी	लेजर रजिस्टर	आवंटन की जानकारी	––''––
9.	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	––''––
10.	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	––''––
11	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	––''––
12.	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	––''––
13.	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	––''––
14.	अंकेक्षण रिपोर्ट	पंजी	वर्षवार जानकारी	––''––
15.	आवेदन पत्र / पत्राचार	पंजी	सबंधित प्रकरणे की जानकारी	––''––

अध्याय सात

जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जिसको नगरपालिका परिषद एवं नगरपंचायतो मे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। जिले के कलेक्टर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एवं जिला स्तरीय एक प्रबंधककारिणी समिति (गर्वनिंग बाडी) का गठन किया गया है।

1. जिला शहरी विकास अभिकरण के द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व काय्र व उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

गर्वनिंग बाडी मे निम्नानुसार सदस्य होगे।

1. जिले के सांसद
2. नगरीय क्षेत्र के समस्त विधायक
3. जिले के समस्त नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत के अध्यक्ष
4. नगरीय क्षेत्र मे गरीबी भलाई मे लगी अशासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि ।
5. एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकत्ता प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित
6. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति का एक–एक प्रतिनिधि प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित ।

शासकीय अधिकारी गण

7. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल सचिव/ सदस्य
8. मुख्य कार्यपालन अधिकाकरी जिला पंचायत बैतूल
9. महाप्रबंधक जिला उघोग एवं व्यापार केन्द्र बैतूल।
10. जिला अग्रणी जिला प्रबंधक बैतूल
11. जिला रोजगार अधिकारी बैतूल
12. उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय बैतूल
13. प्राचार्य आई टी आई बैतूल / पोलेटेकनिक कालेज बैतूल
14. मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला– बैतूल

अध्याय – आठ

जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल की शासी निकाय बैतूल

शासी निकाय

अ.क्र.	नाम समिति	सदस्यों के नाम	योग्यता
1.	2.	3.	4.
1.	शासी निकाय (गर्वनिंग बाडी)	अध्याय –सात के अनुसार	

गठन – कलेक्टर के द्वारा अशासकीय सदस्यो का मनोनयन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात किया जाता है।

कार्य –

1. **संबंधित विभाग के कार्यो बाबत सुझाव देना ।**
2. **विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मानीटरिंग ।**
3. **नगरीय निकायो मे संचालित योजनाओं एवं उसके तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा।**

अध्याय – नौ

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितो की निर्देशिका

अ. क्र.	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पद	पता	फोन नम्बर
1	2	3	4	5
1	श्री पवन राय	परियोजना अधिकारी	'शासकीय आवास सदर बैतूल	मोबाईलनंबर 9425484044
2	श्री महेश कुमार साहू	स्टेनोटायपिस्ट	विकास नगर बैतूल	9827241875
3	श्री सुधीर भार्गव	सहायक ग्रेड–3	सिविललाईन बैतूल	9407504235
4	श्री फिरोज खान	वाहन चालक	टिकारी बैतूल	9827583587
5	श्री जगदीश राठौर	फर्राश चौकीदार भृत्य	विनोबा वार्ड बैतूल	7489474332

अध्याय – दस

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितो की निर्देशिका

पत्रक मासिक पारिश्रामिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों मे उप – बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति ।

अ.क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन + महंगाई	विनियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति			वेतन मान
				गृह भाड़ा	मेडीकल भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री पवन राय	परियोजना अधिकारी					न.पा.बैतूल से
2	श्री महेश कुमार साहू	स्टेनोटायपिस्ट	35102/–	757/–	0.	35859/–	15130/–
3	श्री सुधीर भार्गव	सहायक ग्रेड–3	29650/–	639/–	0.	30289/–	12780/–
4	श्री फिरोज खान	वाहन चालक	29209/–	630/–	0.	29839/–	12590/–
5	श्री जगदीश राठौर	फर्राश चौकीदार भृत्य	25938/–	559/–.	0.	26497/–	11180/–

.

अध्याय – ग्यारह

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट ;आय एवं व्यय पत्रकद्ध

(क) जिला ाहरी विकास अभिकरण संचालित योजनांतर्गत उपलब्ध 16–17

अ. क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम	180	207	115%	9.00	11.91	**132%**
1.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम	180	210	117%	27.00	59.19	**132%**

अध्याय – बारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के कियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अ.क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2015–16	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम	गठित टास्क फोर्स समिति के माध्यम से हितग्राहियो का चयन	जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल		19.34	10.60	**153**
1.	मुख्यमंत्रीस्वरोजागार कार्यक्रम	गठित टास्क फोर्स समिति के माध्यम से हितग्राहियो का चयन	जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल	–	32.41	40.22	**176**

अध्याय – तेरह

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं की सूची

अ.क्र.	सहायता का स्वरूप	प्राप्तकर्ता का नाम	पता	वर्ष	प्रमाण	सहायता राशि
1	2	3	4	5	6	7

हितग्राहीयो की जानकारी जिले की नगरीय निकाय के द्वारा निकायस्तर से उपलब्ध कराई जावेगी।

नोट :– (1) निकाय में गठित टास्क फोर्स समिति में हितग्राहियो का चयन कर ऋण प्रकरणों को बैक भेजा जाता है। बैंक द्वारा ऋण प्रकरणों की जांच कर स्वीकृति उपरांत अनुदान भेजने हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल को भेजा जाता है। अनुदान प्राप्त होने पर बैंक द्वारा हितग्राहियो को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय – चौदह

जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल के पास प्राप्त या धारित इलेक्टानिक फार्म मे सूचना का विवरण

अ.क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1.	2.	3.	4.
1	फोटो कापी	निरंक	निरंक

अध्याय – पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाए

अ. क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नंबर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	फोटो कापी	स्टेनो	प्रातः 11–00 बजे से शाम 4–00 बजे तक	230338

1. अन्य माध्यम – नोटिस बोर्ड आदि

अध्याय – सोलह
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

अ. क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	ई–मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री पवन राय	परियोजना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी न	230338	–	जिला कार्यालय बैतूल	प्रातः 11.30बजे से दोपहर 12.30 बजे तक
2.	श्री महेश साहू	स्टेनोटायपिस्ट/ सहायक लोक सूचना अधिकारी	230338	–	जिला कार्यालय बैतूल	प्रातः 11.30बजे से दोपहर 12.30 बजे तक
3	श्री सुधीर भार्गव	सहायक ग्रेड–3/ सहायक लोक सूचना अधिकारी	230338	–	जिला कार्यालय बैतूल	प्रातः 11.30बजे से दोपहर 12.30 बजे तक

नोट :–

1– उपरोक्त के संबंध मे अपीलीय अधिकारी कलेक्टर बैतूल रहेगे।

2– मिलने का समय भ्रमण एवं अवकाश के दिनो को छोड़कर ।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम एवं आर्थिक कल्याण योजना

‘ शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं का कियान्वयन नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत के माध्यम से किया जाता है । बैतूल जिले में चार नगरपालिका परिषद क्रमशः बैतूल ,आमला,सारनी, मुलताई एवं चार नगरपंचायत बैतूलबाजार, भैसदेंही, आठनेर चिचोली के अंतर्गत प्रचलित शहरी गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम हो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है।

(1)मुख्यमंत्रीस्वरोजगार कार्यक्रम – इस ‘शहरी गरीबो को स्वरोजगार लगाने के लिए बैको से ऋण अनुदान दिलाकर स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है कार्यक्रम में स्थापित व्यवसाय पर लागत का मार्जिन मनी 20 प्रतिशत या अधिकतम रूपये चालीस हजार का अनुदान अधिकतम शासन द्वारा हितग्राही को दिया जाता है जिसमें लागत की 70 प्रतिशत राशि या अधिकतम 1.60 लाख रूपये का ऋण व्यवसायिक बैको के माध्यम से

हितग्राही को ब्याज अनुदान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दरमें 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर की राशि अनुदान के रूप मेंशासन द्वारा उनके खाते में उपलब्ध कराई जावेगी।

(2)मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम– शहरी गरीबो को आर्थिक सहायतता हेतु स्वरोजगार लगाने के लिए बैको से ऋण अनुदान दिलाकर स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है कार्यक्रम में स्थापित व्यवसाय पर लागत का मार्जिन मनी 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये पांच हजार का अनुदान अधिकतम शासन द्वारा हितग्राही को दिया जाता है जिसमें लागत की 75 प्रतिशत राशि या अधिकतम जिसमें हाथठेला साईकिल रिक्शा, पथ पर विक्रय करने वाले केश शिल्पी या अन्य व्यवसाय हेतु 50 हजार रूपये का ऋण व्यवसायिक बैको के माध्यम से हितग्राही को ब्याज अनुदान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दरमें 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर की राशि अनुदान के रूप मेंशासन द्वारा उनके खाते में उपलब्ध कराई जावेगी।

मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिलरिक्शा कल्याण योजना–2009

पात्रता एवं पंजीयन –

ऐसे समस्त हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक जो जीविकोपार्जन हेतु हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चलाते है तथा उनके परिवार में पत्नि/पति ,आश्रित बच्चे, आश्रित माता पिता, आश्रित विधवा परित्यागता पुत्री से है,। योजनांतर्गत पंजीयन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा पंजीयन कर हाथठेला एवं रिक्शा चालको को फोटो परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसका तीन वर्ष पश्चात नवीनीकरण शुल्क लेकर नवीनीकरण किया जावेगा। स्थानीय निकाय द्वारा पंजीयन का आवेदन अमान्य करने पर अथवा अपात्र पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।अनुविभागीय दण्डाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह स्वमेव अथवा सूचना प्राप्त होने पर भी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने अथवा अपात्र व्यकितयों का पंजीयन निरस्त करने संबंधी निर्देश स्थानीय निकाय को दे सकेगा।

मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 8–9–09 के अनुसार निम्नानुसार हैः–

1– सभी साईकिल रिक्शा चालक एवं हाथठेला चालक चाहे व शहरी क्षेत्रो में साईकिल रिक्शा या हाथठेला चला रहे हो वे उपरोक्त योजना में लाभावित होंगे।

2– साईकिल रिक्शा हाथठेला की इकाई लागतकी इकाई लागत रूपये 20000 जिसमें 25 प्रतिशत माजिन मनी अधिकतम 5000/– रूशासन द्वारा हितग्राहि को दी जावेगी।

4–

सुविधायें

योजना के अंतर्गत हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक के परिवार के लिए निम्नानुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी :–

1– प्रसूति सहायता

पंजीबद्ध हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक की पत्नि अथवा पंजीबद्ध महिला चालक को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निम्नानुसार 3 लाभ प्रदान किये जायेगें:–

1– निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशिं

2– पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन के मजदूरी के

समतुल्य राशि।

3– प्रसूति व्यय के लिए (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गता यह भुगतान नहीं किया जावेगा)

2–छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार

पंजीबद्ध हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक के बच्चो को छात्रवृत्ति /मेधावी छात्र पुरूस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होगा। निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार नगरपरिषद , नगरपालिका परिषद द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

3– विवाह सहायता

पंजीबद्ध हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 6000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी ।परन्तु यदि परिवार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

4– चिकित्सा सहायता–

पंजीबद्ध हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा मे भर्ती होकर शासकीय अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्रो में

होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 20000/– की सीमा प्रतिपरिवार प्रति वर्ष स्वीकृत की जायेगी इस हेतु **दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना** के नियम व मापदंड लागू होगें।गंभीर बीमारी की स्थिति मे उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत सहायता दी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जावेगी।

5– दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अत्येष्टी के लिए 2000/– रू. अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30000/– रू(रू.तीस हजार केवल).दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंतगता होने पर 75000/– रू,(रू.पचहत्तर हजार केवल) दुर्घटना में एक आंख, एक हाथ या एक पाव अक्षम होने पर रूपये 37500/–(सैतीस हजार पांच सो केवल) का लाभ दिया जावेगा। योजना के तहत बीमित सदस्यो के बच्चो के लिए शिक्षा वृत्ति का लाभ दिया जायेगा। इसमें 9 से 12वी कक्षा तक के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100/– रू. की शिक्षावृत्ति दी जायेगी। हितग्राही को शासन द्वारा वित्तपोषित एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

संपर्क– जिला शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त नगरपालिका परिषद /

नगरपंरिषद जिला– बैतूल

मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना–2009

पात्रता एवं पंजीयन –

ऐसे समस्त शहरी घरेलू कामकाजी महिला जो जीविकोपार्जन हेतु शहरी क्षेत्रो में(असंगठित क्षेत्र में)दूसरो के घरो में घरेलू कामकाज करती हों तथा उनके परिवार में पत्नि/पति ,आश्रित बच्चे, आश्रित माता पिता,/सास ससुर आश्रित विधवा परित्यागता पुत्री से है,। योजनांतर्गत पंजीयन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा पंजीयन कर फोटो परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसका तीन वर्ष पश्चात नवीनीकरण शुल्क लेकर नवीनीकरण किया जावेगा। स्थानीय निकाय द्वारा पंजीयन का आवेदन अमान्य करने पर अथवा अपात्र पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।अनुविभागीय दण्डाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह स्वमेव अथवा सूचना प्राप्त होने पर भी पात्र महिलाओं का पंजीयन करने अथवा अपात्र महिलाओं का पंजीयन

निरस्त करने संबंधी निर्देश स्थानीय निकाय को दे सकेगा। शहरी घरेलू कामकाजी महिला के परिचय पत्र में सम्मानजनक संबोधन बहन के नाम से किया जायेगा।

सुविधायें

शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के परिवार के लिए निम्नानुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी :–

1– प्रसूति सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निम्नानुसार 3 लाभ प्रदान किये जायेगें:–

1– निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशिं

2– पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन के मजदूरी के

समतुल्य राशि।

3– प्रसूति व्यय के लिए (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गता यह भुगतान नहीं किया जावेगा)

2–छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के बच्चो को छात्रवृत्ति /मेधावी छात्र पुरूस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होगा। निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार नगरपंचायत, नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

3– विवाह सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 6000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी ।परन्तु यदि परिवार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

4– चिकित्सा सहायता–

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा मे भर्ती होकर शासकीय अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्रो में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 20000/– की सीमा प्रतिपरिवार प्रति वर्ष स्वीकृत की जायेगी इस हेतु **दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना** के नियम व मापदंड लागू होगें।गंभीर बीमारी की स्थिति मे उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत सहायता दी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जावेगी।

5– कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को कौशल उन्नयन विकासित

कौशल उन्नयन विकसित किये जाने हेतु विभिन्न शाासकीय/अशासकीय तथा स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायो के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे वे अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके एवं बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें।

6– दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अत्येष्टी के लिए 2000/– रू. अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30000/– रू(रू.तीस हजार केवल).दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंतगता होने पर 75000/– रू,(रू.पचहत्तर हजार केवल) दुर्घटना में एक आंख, एक हाथ या एक पाव अक्षम होने पर रूपये 37500/–(सैतीस हजार पांच सो केवल) का लाभ दिया जावेगा। योजना के तहत बीमित सदस्यो के बच्चो के लिए शिक्षा वृत्ति का लाभ दिया जायेगा। इसमें 9 से 12वी कक्षा तक के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100/– रू. की शिक्षावृत्ति दी जायेगी। हितग्राही को शासन द्वारा वित्तपोषित एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

संपर्क– जिला शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त नगरपालिका परिषद /

नगरपरिषद जिला– बैतूल

मुख्यमंत्री पथ पर फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगो के लिए कल्याण योजना

1—सर्वेक्षण

शहरो में प्रतिदिन फेरी लगाकर सिर पर, हाथ ठेलो में सामान रखकर फुटपाथो गलियों मे नुक्कड आदि पर बैठकर व्यवसाय करने वाले लोगो की पहचान करने के उद्धेश्य से समसत नगरीय निकायों के द्वारा शहरी सीमा के भीतर ऐसे लोगो का सर्वेक्षण किया जायेगा

2— पंजीकरण एवं अनुज्ञा पत्र का प्रदाय

संबंधित नगरीय निकाय उपर्यक्त सर्वेक्षण के आधार पर शहरो के विभिन्न वार्डो ,बाजार, मोहल्लो में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगो का पंजीकरण करेगें तथा नाममात्र का शुल्क लेकर उन्हें उक्त व्यवसाय करने के लिए वार्षिक आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी करेंगे । सर्वेक्षण उपरांत अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्रवाई निकाय द्वारा निरंतर प्रकिया के अधीन की जायेगी।

3— हाकर्स जोन

प्रत्येक शहर में पहचान किये जाने वाले फेरी वालो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शहरों को विभिन्न मार्गो बाजारो के निकट वार्डो आदि में उपर्युक्त स्थान पर हाकर्स जोन बनाये जावेगें हाकर्स जोन के लिए स्थान नियत कर उन्हें विकसित करने का दायित्व नगरीय निकाय का होगा।

4— पहचान पत्र

नगरीय निकायों को द्वारा पंजीबद्ध फेरी वालो को पति पत्नि का सुयंक्त छायाचित्र जिसमें नाम परिवार के सदस्यो का विवरण, व्यवसाय निवास का पता हाकर्स जोन पंजीकरण की संख्या वैधता की अवधि आदि की जानकारी संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त परिचय पत्र पर विधिवत अपनी पदमुद्रा के अधीन जारी किया जावेगा।

5— नगर विक्रय समिति का गठन

योजनांतर्गत पथकर विक्रय करने वाले में से दो सदस्य नामाकिर तक नगर विक्रय समिति का गठन निकाय स्तर पर किया जावेगा ।

6— स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता — योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राही को स्वयं का व्यवसाय संचालन हेतु बैंक से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी हलसतके 2250 /— रू. ऋण, हितग्राही का मार्जिन मनी 250/— रू एवं शासन द्वारा अनुदान 2500/— रू उपलब्ध कराया जाता है।

<u>सुविधायें</u>

<u>मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वाले के लिए कल्याण योजना</u> के परिवार के लिए निम्नानुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी :—

1— प्रसूति सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निम्नानुसार 3 लाभ प्रदान किये जायेगें:—

1— निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशिं

2— पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन के मजदूरी के

समतुल्य राशि।

3— प्रसूति व्यय के लिए (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गता यह भुगतान नहीं किया जावेगा)

2—छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के बच्चो को छात्रवृत्ति /मेधावी छात्र पुरूस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होगा। निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार नगरपंचायत, नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

3– विवाह सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 6000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी ।परन्तु यदि परिवार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

4– चिकित्सा सहायता–

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा मे भर्ती होकर शासकीय अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्रो में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 20000/– की सीमा प्रतिपरिवार प्रति वर्ष स्वीकृत की जायेगी इस हेतु **दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना** के नियम व मापदंड लागू होगें।गंभीर बीमारी की स्थिति मे उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत सहायता दी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जावेगी।

5– कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को कौशल उन्नयन विकासित

कौशल उन्नयन विकसित किये जाने हेतु विभिन्न शाासकीय/अशासकीय तथा स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायो के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे वे अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके एवं बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें।

6– दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

पंजीबद्ध शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अत्येष्टी के लिए 2000/– रू. अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराई जायेगी।

जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर 30000/– रू(रू.तीस हजार केवल).दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंतगता होने पर 75000/– रू,(रू.पचहत्तर हजार केवल) दुर्घटना में एक आंख, एक हाथ या एक पाव अक्षम होने पर रूपये 37500/–(सैतीस हजार पांच सो केवल) का लाभ दिया जावेगा। योजना के तहत बीमित सदस्यो के बच्चो के लिए शिक्षा वृत्ति का लाभ दिया जायेगा। इसमें 9 से 12वी कक्षा तक के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह 100/– रू. की शिक्षावृत्ति दी जायेगी। हितग्राही को शासन द्वारा वित्तपोषित एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

संपर्क– जिला शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त नगरपालिका परिषद /

नगरपंरिषद जिला– बैतूल

मुख्यमंत्री पथ पर फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगो के लिए कल्याण योजना

शहरी में गरीब तबके के लोगो द्वारा अस्थाई स्टाल लगाकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करते हुए हुए अपरा जीविकोपार्जन कियाजाता है इनमें लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक महिलायें भी सम्मिलित है। फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले इन लोगो को अपने व्यवसाय के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाईयॉ का सामना करना पडता हैं तथा पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी इन्हें हटा कर इधर से उधर करने व परेशान किये जाने की शिकायते प्राप्त होती रहती है।

राज्य शासन ने फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले इन लोगो की समसयाओं के प्रति संवेदनशील है। इसी उदेश्य से सरकार ने शहरों में विभिन्न स्थानो पर हाकर्स जोन बनाने का निर्णय लिया गया है जिनमें फेरी वाले अस्थाई स्थान उपलब्ध कराकरक अपना व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान की जाती है तथा इसके लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है। हाकर्स जोन विकसित करने का कार्य नगरीय स्थानीय निकायो और विकास प्राधिकरण आदि के माध्यम से कराया जा रहा है।

उपयुक्त लक्ष्य समूह को संगठित कर उनके व्यवसाय में आने वाली दैनदिनी कठिनाईयों का निराकरण करने के उद्धेश्य से फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगो के कल्याण की योजना प्रस्तावित है जो इसप्रकार है :–

1–सर्वेक्षण

शहरो में प्रतिदिन फेरी लगाकर सिर पर, हाथ ठेलो में सामान रखकर फुटपाथो गलियों मे नुक्कड आदि पर बैठकर व्यवसाय करने वाले लोगो की पहचान करने के उद्धेश्य से समसत नगरीय निकायों के द्वारा शहरी सीमा के भीतर ऐसे लोगो का सर्वेक्षण किया जायेगा सर्वेक्षण मे मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एकत्रित की जायेगी।

1– नाम,पता,आयु,शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय तथा व्यवसाय का क्षेत्र/वार्ड
2– संबंधित व्यक्ति कब से उक्त व्यवसाय मे संलग्न है और वर्ष की कितनी अवधि मे व फेरी /हाथठेला आदि लगाकर अपना व्यवसाय करता है
3– व्यवसाय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा पूॅजी किस स्त्रोत से लगायी गयी है। और क्या अपने व्यवसाय को बढाने के लिए वह वित्तीय संस्थओं आदि से ऋण प्राप्त करने का इच्छुक है।
4– उक्त व्यवसाय से संबंधित किसी व्यक्ति प्रतिमाह कुल कितना शुद्ध लाभ अर्जित करता है।
5– संबंधित व्यक्ति की किसी निश्चित स्थान पर बैठकर व्यवसाय करने के संबंध में अभिरूचि और स्थान का विकल्प ।

2– पंजीकरण एवं अनुज्ञा पत्र का प्रदाय

संबंधित नगरीय निकाय उपर्यक्त सर्वेक्षण के आधार पर शहरो के विभिन्न वार्डो ,बाजार, मोहल्लो में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगो का पंजीकरण करेगें तथा नाममात्र का शुल्क लेकर उन्हें उक्त व्यवसाय करने के लिए वार्षिक आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी करेंगे । सर्वेक्षण उपरांत अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्रवाई निकाय द्वारा निरंतर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

3– हाकर्स जोन

प्रत्येक शहर में पहचान किये जाने वाले फेरी वालो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शहरों को विभिन्न मार्गो बाजारो के निकट वार्डो आदि में उपर्युक्त स्थान पर हाकर्स जोन बनाये जावेगें हाकर्स जोन के लिए स्थान नियत कर उन्हें विकसित करने का दायित्व नगरीय निकाय का होगा।

4– पहचान पत्र

नगरीय निकायों को द्वारा पंजीबद्ध फेरी वालो को पति पत्नि का सुयंक्त छायाचित्र जिसमें नाम परिवार के सदस्यो का विवरण, व्यवसाय निवास का पता हाकर्स जोन पंजीकरण की संख्या वैधता की अवधि आदि की जानकारी संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त परिचय पत्र पर विधिवत अपनी पदमुद्रा के अधीन जारी किया जावेगा।

5– हाकर्स वेलफेयर कमेटी

शहरो में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले निम्नाकित स्थान पर कल्याण समिति का गठन किया जावेगा

1– टाउन हार्कस वेलफेयर कमेटी 2– वार्ड हाकर्स वेलफेयर कमेटी

6– स्वसहायता समूह

निकाय अपने सीमा क्षेत्र में पंजीबद्ध हाकरो के स्व–सहायता समूह गठित करके उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय के संचालन में उन्हे पूरी तरह समर्थ बनाने के बारे मे आवश्यक कार्यवाही करेगा। इस प्रकार गठित स्व सहायता समूहों के सदस्य स्वयं के अंशदान और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण तथा शासन से प्राप्त एसजेएसआरवाय योजनांतर्गत अनुदान आदि को मिलकार एक निधि का निर्माण करेगे जिससे समूह के सदस्यो को अपने व्यवसाय के संचालनों में समय–समय पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

7– सरकार की योजना से समम्नवय

हाकर्स समुदाय उनके वयवसाय को सफलता पूर्वक स्थापित करने के प्रयोजन से उन्हें सरकार की योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंद्ध किया जायेगा।

8– हाकर्रो का समूह बीमा

राज्य शासन शहरो मे नगरीय निकायों के माध्यम से पंजीबद्ध हाकरो के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समन्वय कर समूह बीमा योजना प्रारंभ करेगी और यदि हितग्राही किसी अन्य योजना के तहत बीमित हो तब भी इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को समूह बीमा योजना में सम्मिलित किया जावेगा।

9– अशासकीय संस्थाओं से समन्वय

हाकरो की सामाजिक स्थिति के उननयन की दिशा मे समान उददेश्यों के लिए काम करने वाली अशासकीय संस्थाओं को निम्नांकित कार्य करने के लिए प्रेरित किया जायेगा

1– हाकरो मे सामाजिक चेतना जागृत करना और उनकी शैक्षणिक स्थिति मे सुधार करना

2– सरकार के विभिन्न विभागो से संपर्क कर मध्यस्थ की भूमिका अदा करना

3– हाकरो को उनके द्वारा संचालित व्यवसायो को करने के उदेश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना

4– हाकरो की सामाजिक और आर्थिक अवस्थिति का समय समय पर अध्ययन करना।

संपर्क– जिला शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त नगरपालिका परिषद / नगरपरिषद जिला बैतूल

मुख्यमंत्री आश्रय योजना

शहरी गरीब आवासहीनो को पट्टा वितरण

प्रदेश के शहरी क्षेत्रो मे आवासहीन गरीबो को आवासीय भूमि के पटटे दिये जाने के संबंध में कार्यवाही '' मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारो का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के प्रावधानो के अंतर्गत की जाती है। राज्य शासन द्वारा इसके लिए वर्ष 1998 में नियम बनाकर प्रक्रिया का निर्धारण भी किया गया। उक्त अधिनियम एवं नियमों में शहरो में आवासहीन झुग्गीवासियों को पट्टे दिये जाने के संबंध में पात्रता के निर्धारण हेतु विभिन्न मापदण्ड निर्धारित किये गये है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शहरो में झुग्गी–झोपड़ी में निवासरत आवासहीन गरीबो का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस बाबत निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1– 31दिसंबंर 2012 की स्थिति में शहरी क्षेत्रो में शासकीय नजूल/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की भूमि पर निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास उक्त पते का राशनकार्ड बना हो, के नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किये जायेगें। राशन कार्ड न होने की दशा में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा उक्त तिथि को संबंधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन किया जायेगा।

2– जिन व्यक्तियों के पास पूर्व मे पट्टे उपलब्ध है या शासन की किसी योजना में भूखण्ड/आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका चयन किया गया हें, ऐसे व्यक्तियों के नाम इस सर्वेक्षण सूची में कदापित सम्मिलित नहीं किये जायें।

3– यदि कोई झुग्गीवासी किरायेदार के रूप में झुग्गी में निवास कर रहा है तथा उसके नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूमि/भवन नहीं है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किया जायेगा। किन्तु संबंधित झुग्गी के मालिक का नाम सर्वेक्षण सूची में किसी भी परिस्थिति में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सर्वेक्षण कार्य संपन्न करने के लिए कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन प्राधिकृत अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरीय निकाय में सर्वेक्षण कार्य कराकर मुख्यमंत्री आश्रय योजनांतर्गत संयुक्त फोटोयुक्त भूमि का पटटा (पति एवं पत्नि) प्रदाय किया किया जावेगा।